न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या –64/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2018/00350

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मादाराम पुत्र मोडाजी जाति पटेल निवासी बींजा, तह. रोहट, जिला पाली		1. ग्राम पंचायत, वायद जरिये सरपंच 2. जगाराम पुत्र मोडा जी जाति पीटल, निवासी बींजा, तहसील रोहट, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :– दिनांक :– 27-7-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत वायद के मिसल संख्या 85/1984–85 जरिये प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 6.3.1985 के जरिये पट्टा नम्बर 29 अप्रार्थी संख्या 1 में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है, बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आदेश वाक्यातों एवं साक्ष्य विहीन है ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया उसका पट्टा जारी करने का संकल्प पारित किया हो ऐसा कोई प्रस्ताव अधीनस्थ ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करने की प्रक्रिया व पट्टे की प्रतिलिपी प्रस्ताव मय मिसल की मांगी की तो नकलें उपलब्ध नही कराई गई बिना प्रस्ताव के पट्टा जारी किया जो खारिज करने योग्य है। खसरा नम्बर 200 रकबा 0.6 पर प्रार्थी का बाडा बना हुआ है। किस्म गैर मुमकिन खाद का गढा है। तह0 ने प्रार्थी को धारा 91 को नोटिस दिया उससे साबित है कि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे की व मालिकाना नही है न ही यह भूमि आबादी भूमि है आबादी भुमि के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा क्षैत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है प्रार्थी का बाडा बना हुआ है जहां खाद पशु गोबर व लकडी चारा आदि प्रार्थी का पड़ा रहता है। तथा उक्त भूमि का पट्टा प्रार्थी के सगे भाई अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पक्ष में जारी कराया है जो निरस्त योग्य है ग्रा0प0 वायद द्वारा पट्टा नियम 266 के अनुसार देना बताया है लेकिन 266 के तहत पुश्तैनी हक व कब्जा की आबादी भुमि का जिस पर 20 साल या इससे अधिक वर्षो पुराना कब्जा होगा उसे बाजार दर के 1/3, 1/6, 1/2 की राशि लेकर ही पट्टा दिया जा सकता है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रक्रिया की ही नही जा सकती है। क्योकिं अप्रार्थी सं[illegible] है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल नही बनाई गई न अप्रार्थी संख्या 2 का [illegible] पेश हुआ है न आवेदन शुल्क जमा हुआ न नक्शा शुल्क जमा [illegible] वार्ड पंचों की गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। आपत्ती इश्तिहार भी जारी नही [illegible]या है न प्रार्थी का कब्जा होने का निस्तारण किया गया है। नियम 266 में भूमि [illegible] क्या स्थिति पैदा हुई। किसी भी बातों का उल्लेख नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

इस प्रकार ग्राम पंचायत ने कोई विधि सम्मत कार्यवाही नही करने के बावजुद भी अवैधानिक तरीके से पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया लेकिन मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध नही कराई मात्र पट्टे की नकल दी गई उसी के आधार पर निगरानी पेश की गई है। नकल के अभाव में निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करावे एवं जैर निगरानी पट्टा निगरानी स्वीकार करवाकर पट्टा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान कराने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पंचायत से प्राप्त पट्टा बुक का भी अवलोकन किया गया। इस निगरानी में जैर निगरानी पट्टे की शुद्धता वैधता एवं नियमों की जाचं के सम्बध में विचारणीय दो बिन्दु है–

1. क्या पट्टा राजकीय भूमि पर खसरा नम्बर 200 गैर मुमकिन खड्डा की भूमि में जारी किया गया है जिस पर प्रार्थी का कब्जा है।
2. क्या पट्टा नियमों की पालना करते हुए जारी किया है?

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 216/2014 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के दर्ज कर खसरा नंबर 200 रकबा 0.06 हैक्टेयर की गैर मुमकिन खाद के खड्डा पर अतिक्रमण करने बाबत नोटिस दिया गया था एवं वर्ष 2071 में उक्त प्रकरण में बेदखली के आदेश पारित किए गए थे उक्त नोटिस से सम्बन्धित एवं जैर निगरानी आराजी दोनों एक ही भूमी से सम्बन्धित है। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज निगरानीकर्ता द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो और न ही वकील प्रार्थी यह सिद्ध करने में सफल रहे है कि जिस भूमी का तहसीलदार द्वारा धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया उसी भूगी का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत वायद द्वारा प्रेषित उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार पट्टा संख्या 29 वर्ष 1985 में जारी किया गया है निगरानी 33 वर्षो बाद प्रस्तुत की गई है। केवल रेकर्ड की अनुपलब्धता यह प्रमाणित नही करती कि प्रक्रिया का पालन नही हुआ है। मूल पट्टा बुक अवलोकन करने पर पट्टा जारी होना पाया गया है जिस पर मिसल नम्बर 62/1984–85 तथा संकल्प संख्या 1 दिनांक 6.3.1985 का अंकन है। धारा 91 के अन्तर्गत जारी नोटिस पत्रावली संलग्न है। उक्त नोटिस से यह सिद्ध नहीं होता कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत वायद द्वारा नियमों की पालना नही की गई है ऐसी स्थिति मे जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एंव जैर निगरानी पट्टा संख्या 29 जो मिसल संख्या 85/1984–85 की पालना में संकल्प संख्या 1 दिनांक 6.3.1985 की पालना में जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27-7-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:09 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली